



Nº 007678

## संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21, 1860 )

संख्या 793.

वर्ष 2000 - 2001.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

"जे.के. इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड  
रजिस्ट्रेशन सेंटर"



सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख 12/10/08 मास अक्टूबर वर्ष दो हजार ०८ को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

  
12.10.08  
नास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

पत्रांक 47-15935/10-1785

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र  
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय  
झारखण्ड, राँची।

जो श्री इन्टरनेशनल प्रिविलेज्ड स्कूल एंड  
एज्युकेशन बॉडी

दिनांक : 12-10-10

प्रमाणित किया जाता है कि 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरार आज निम्नलिखित दरतावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं।


- (1) निबंधन शुल्क 50/- रुपया मात्र।
- (2) आम सभा का प्रस्ताव।
- (3) स्मृति-पत्र।
- (4) नियमावली।

  
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जो श्री इन्टरनेशनल प्रिविलेज्ड स्कूल एंड एज्युकेशन बॉडी  
श्री जेसु टावर सरिताबाई एरिडी  
प्लॉट - हरियाणु गानग - गजगणगण्डु रड्डीबाई  
जिला राँची, झारखण्ड

उनके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।  
कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

  
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक : 1/JS' 10.10.5/10 - 1869

झारखण्ड सरकार  
निबंधन विभाग ।

प्रेषक,

मो. युसूफ,  
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,  
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,

जो. ई. इन्वेलोपमेंट प्रॉजिक्ट समन्वयक पुरुषोत्तम के.टी.  
ज.ई. 2102 सचिवालय राँची  
मो. - 8299 2102 सचिवालय पुरुषोत्तम के.टी.  
राँची, झारखण्ड

राँची, दिनांक : 21-10-10

विषय :- स्मृति-पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने  
के संबंध में ।

महाशय,

आपके आवेदन के आलोक में निबंधित संस्था के स्मृति-पत्र एवं  
नियमावली की छाया-प्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु.- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

  
सहायक निबंधन महानिरीक्षक  
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज. कं. इंटरनेशनल पब्लिक

स्कूल एण्ड एजुकेशन सेंटर

नामक संस्था का

(स्मृति पत्र)

1. संस्था का नाम : जे. के. इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एण्ड एजुकेशन सेंटर।

2. निबंधित कार्यालय : इस संस्था का निबंधित कार्यालय-

प्लॉट सं. - 937/938, C/O-जेशू टावर, सत्यारी टोली,

पोस्ट-हटिया, थाना-जगन्नाथपुर, खूंटी रोड, राँची, जिला-राँची,

झारखण्ड

3. कार्यक्षेत्र : इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

4. उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) ग्राम स्वराज्य के सपनों को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को खासकर पहाड़ियों, आदिवासियों, हरिजनों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के बीच चेतना तथा जागृति पैदा कर उनके विकास के लिए बहुमुखी कार्यक्रम चलाना तथा प्रशिक्षण देना।

(ख) गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को अर्थात् जिन परिवारों की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित रकमों से कम है उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आय में वृद्धि करना।

यह सचिवी अभिप्रेरित प्रतिलिपि है।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

- (ग) शिक्षा जैसे विभिन्न शिक्षण संस्थानों जैसे प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना व संचालन, तकनीकी शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना व संचालन।
- (घ) समाज के सर्वांगीण विकास हेतु समाज के निम्न वर्ग एवं शिक्षा से वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलाना।
- (ङ) समाज की सर्वांगीण विकास हेतु समाज के दलित वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य लोगों सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करना।
- (च) ग्राम में गरीबों को स्वास्थ्य समीकरण की जानकारी देना तथा कंप्यूटर शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर समाज में उनकी महता के संबंध में जानकारी देना। साथ ही व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा जैसे - टायपिंग, शॉर्टहैंड, टेलीविजन, टेप एवं रेडियो मरम्मत, कंप्यूटर प्रशिक्षण, बड़ईगिरी प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।
- (छ) महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न लघु उद्योग, गृह उद्योग व्यवसाय में प्रशिक्षित करना एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- (ज) ग्रामीण समस्याओं का अन्वेषण तथा सर्वेक्षण करना एवं उसके लिए आवश्यक सुविधाओं को दिलाने का प्रयत्न करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, विश्रामगृह आदि की व्यवस्था करना।
- (झ) संगीत, नृत्य एवं चित्रकला एवं अन्य कला का प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रतिष्ठान केंद्र की व्यवस्था करना। संस्था द्वारा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। विभिन्न कला संबंधित प्रतिभावान एवं तेजस्वी कलाकारों को पुरस्कार दिया जायेगा।
- (ञ) महिलाओं के व्यापक हित में संस्था द्वारा विभिन्न गांवों-स्लमक्षेत्रों में महिला समूह की स्थापना कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सभी तरह का प्रयास करना।

यह सचवी अतिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

गान्धी विचार मन्डल

Signature

- (ट) जनसाधारण का विपत्तियों एवं कठिनाइयों के समय आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग प्रदान करना तथा मेधावी छात्रों के उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान करना।
- (ठ) महिलाओं को संगठित करना एवं पुरुषों के समान समाज में समान दर्जा दिलवाने का प्रयास करना। महिलाओं, बच्चों पर अत्याचार शोषण से मुक्ति, अपने अधिकार एवं कर्तव्य का सही उपयोग करने हेतु उत्प्रेरित करने का प्रयास करना, विधवा एवं परित्यक्ता आश्रमों की व्यवस्था करना।
- (ड) अयोग्य एवं अपराधी जो सजा काट चुके हों उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।
- (ढ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, विकलांग, शिक्षित बेरोजगार, भूतपूर्व सैनिक के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना।
- (ण) असंगठित मजदूरों को संगठित करना एवं उनके शोषण से राहत दिलाना, उन्हें सरकार एवं अन्य एजेंसियों से मिलनेवाली सुविधाओं को उपलब्ध कराना। बाल श्रमिक एवं बंधुआ मजदूरों के समस्याओं के बारे में समुचित कार्य करना।
- (त) सरकारी, गैरसरकारी तथा राष्ट्रीय समाजसेवी संस्थाओं की विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाने हर संभव प्रयास करना।



*Handwritten signature*


यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड


*Handwritten signature*


निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है, वर्तमान में

“जे. के. इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एवं एजुकेशन सेंटर” के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है -



क्र म सं ०	नाम, पति/पिता का नाम	पता	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा, संस्था में पदनाम	फोटो
1.	चंद्रशीष दयाल पिता- महावीर प्रसाद	प्लॉट नं- 35 937/938, जेशू टावर, खूँटी रोड, राँची	35	बी. ए.	व्यवसाय, अध्यक्ष	
2.	जितेन्द्र कुमार सिंह पिता- स्व. अनूठा सिंह	क्वार्टर नं.-N-57 श्यामली कॉलोनी, डोरंडा, राँची	35	बी. कॉम	व्यवसाय, समाजसेवी सचिव	
3.	मो. आफताब आलम पिता- सफीक आलम	मौलाना आजाद कॉलोनी, राँची	38	आई. कॉम	समाजसेवी कोषाध्यक्ष	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "Jitendra" and other scribbles.

4.	श्री अजय कुमार सिंह पिता- श्री आर.एन. सिंह	क्वार्टर नं. - 31 DT/420, धुर्वा, राँची	एम. कॉम	समाजसेवी, उपाध्यक्ष	
5.	मो. नुदुल होदा पिता-मो. लतीफ अंसारी	अपर टोला, बेनापीरी, रातू रोड, राँची	30 मैट्रिक	व्यवसाय उपसचिव	
6.	मो. निसार अंसारी, पिता-एच.ए. अंसारी	बखौरी टोली, मोहनपुर, बरमु, राँची	30 मैट्रिक	व्यवसाय सदस्य	
7.	श्री राम तिकी पिता-श्री जाना उरांव	ग्राम-जाजपुर, पो.-सपग्राम रातू, राँची	25 मैट्रिक	किसान सदस्य	
8.	श्रीमती रेखा देवी पति-श्री चंद्रशेखर	प्लॉट 937 / 938 जेशू टॉवर, खूँटी रोड, राँची	38 बी. ए.	समाजसेवी सदस्य	




9.	मो. असलम अंसारी पिता-मो. हैदर अली	ग्राम - अगरू पो. - बिजुलिया रावू, राँची	34	मैट्रिक	व्यवसाय सदस्य	
10	श्री रोहित राय पिता-परमेश्वर राय	401 B शिंघासन ज्योति बिहार, गौरी शंकर नगर, डोरंडा, राँची	30	नन मैट्रिक	समाजसेवी सदस्य	
11	शाहजहाँ मंसुरी पिता-मधुर मंसुरी	ग्राम - सिमलिया, पो. - रावू, राँची	35	बी. ए.	व्यवसाय सदस्य	

प्रमाणित किया जाता है कि अद्यतान संशोधित ज्ञापन (स्मृति-पत्र) की सच्ची प्रतिलिपि हैं।



*Chandrag Shekh Deyal*  
अध्यक्ष



*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
कोषाध्यक्ष


*[Handwritten marks and signatures]*

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है, वर्तमान में

“जे. के. इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एवं एजुकेशन सेंटर” के <sup>अध्यक्ष</sup> ~~अध्यक्ष~~ समिति के सदस्य हैं, जिनपर संस्था के नियमानुसार <sup>इस</sup> ~~अकादमी~~ का भार सौंपा गया है -

क्र म सं ०	नाम, पति/पिता का नाम	पता	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा, संस्था में पदनाम	फोटो
1.	चंद्रशीष दयाल पिता- महावीर प्रसाद	प्लॉट नं- 937/938, जेशू टावर, खूँटी रोड, राँची	35	बी. ए.	व्यवसाय, अध्यक्ष	
2.	जितेन्द्र कुमार सिंह पिता- स्व. अनूठा सिंह	क्वार्टर नं.-N-57 श्यामली कॉलोनी, डोरंडा, राँची	35	बी. कॉम	व्यवसाय, समाजसेवी सचिव	
3.	मो. आफताब आलम पिता- सफीक आलम	मौलाना आजाद कॉलोनी, राँची	38	आई. कॉम	समाजसेवी कोषाध्यक्ष	

*(Handwritten signatures and marks)*

4	श्री अजय कुमार सिंह पिता- श्री आर.एन. सिंह	क्वार्टर नं. - DT/420, धुर्वा, राँची	31	एम. कॉम	समाजसेवी, 3009 उपस्थपक्ष	
5.	मो. बुडुल होदा पिता-मो. लतीफ अंसारी	अपर टोला, बेनापीरी, रातू रोड, राँची	30	मैट्रिक	व्यवसाय उपस्थापक	
6.	मो. निसार अंसारी, पिता-एच.ए. अंसारी	बखौरी टोली, मोहनपुर, बरमु, राँची	30	मैट्रिक	व्यवसाय सदस्य	
7.	श्री राम तिकी पिता-श्री जाना उरांव	ग्राम-जाजपुर, पो.-सपगाम रातू, राँची	25	मैट्रिक	किसान सदस्य	
8.	श्रीमती रेखा देवी पति-श्री चंद्रशेखर	प्लॉट 937 / 938 जेशू टॉवर, खूँटी रोड, राँची	38	बी. ए.	समाजसेवी सदस्य	

5  
6

श्री अजय कुमार सिंह

श्री अजय कुमार सिंह

9	मो. असलम अंसारी पिता-मो. हैदर अली	ग्राम - अगरू पो. - बिजुलिया रातू, राँची	34	मैट्रिक	व्यवसाय सदस्य	
10	श्री रोहित राय पिता-परमेश्वर राय	401 B शिंघासन ज्योति बिहार, गौरी शंकर नगर, डोरंडा, राँची	30	नन मैट्रिक	समाजसेवी सदस्य	
11	शाहजहाँ मंसुरी पिता-मधुर मंसुरी	ग्राम - सिमलिया, पो. - रातू, राँची	35	बी. ए.	व्यवसाय सदस्य	

प्रमाणित किया जाता है कि अद्यतन संशोधित ज्ञापन (स्मृति-पत्र) की सच्ची प्रतिलिपि हैं।

*Chandra S. Singh Doyal*

अध्यक्ष

*Chandra S. Singh Doyal*

सचिव

*Abdul Karim*

कोषाध्यक्ष

यह सच्ची अनिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

जे. के. इंटरनेशनल पब्लिक

स्कूल एंड एजुकेशन सेंटर

नामक संस्था का

*संस्था* नियमावली

1. (क) संस्था से अभिप्राय है : जे. के. इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड एजुकेशन सेंटर।
  - (ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति।
  - (ग) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
  - (घ) आम सभा से अभिप्राय है : संस्था की सभी सदस्यों से बनी सभा।
  - (ङ) पदाधिकारी से अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, उपसचिव *उपाध्यक्ष* 1
  - (च) अधिनियम एवं नियम से अभिप्राय है : संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 एवं झारखण्ड संस्था निबंधन नियमावली 1965 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत तथा अधिसूचना संख्या 726 दिनांक 18.11.05 से यथा संशोधित)।
- (क) संस्था के प्रारम्भ करने की अवधि : 1 अप्रैल 2008.

2. संस्था को सदस्यता :- प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करते हों, वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। संस्था का सदस्य बनने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति के द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक सदस्य को कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सदस्यता प्रवेश शुल्क देना अनिवार्य होगा।

*Signature*

3. कार्यकारण सामात का गठन :-


- (क) संस्था की एक कार्यकारिणी समिति ग्यारह सदस्यों की हागी।
- (ख) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कम से कम एक वर्ष की होगी एवं निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।
- (ग) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा।
- (घ) अगर समिति के कार्यकाल के बीच कोई भी पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता हे तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना आवश्यक होगा।

4. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

- (क) संस्था के सभी चल एवं अचल संपत्ति का उत्तरदायी होना।
- (ख) संस्था के सही संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- (ग) संस्था के कार्यकर्मों को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव पारित करना।
- (घ) संस्था के लिए भवन, भूमि एवं अन्य उपस्कर की व्यवस्था करना।
- (ङ) सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार विमर्श कर सदस्यता के लिए स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करना।
- (च) संस्था के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति करना।
- (छ) शाखा एवं उप शाखा खोलना।

5. सदस्यता की समाप्ति :-

- (क) स्वयं त्यागपत्र देने पर।
- (ख) पागल या दिवालिया होने पर।
- (ग) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
- (घ) विशिष्ट और सक्रिय सदस्यों के सदस्यता का अनुमोदन नहीं होने पर।

A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'SECT OF THE OFFICE OF THE REGISTRAR' and 'REGISTRATION' around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

- (ड) आवेशवास प्रस्ताव पारित होने पर।
- (च) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
- (छ) बिना कारण बनाये समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

6. आम सभा के अधिकार एवं कार्य :-

- (क) संस्था के कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
- (ख) वार्षिक लेखजोखा विवरणी की समीक्षा करना तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट की स्वीकृति करना।
- (ग) संस्था के आय-व्यय, लेखा-जोखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

7. अभियाचित बैठक :-


1/3 सदस्यों के लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर अध्यक्ष को बैठक बुलाना होगा, अगर अध्यक्ष निर्धारित अवधि के अनदर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि उक्त अवधि के उपरान्त वे बैठक का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सदस्यों को सूचित करना अनिवार्य होगा।

8. कोरम :-

संस्था के प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का ~~50%~~ होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

9. बैठक :-

- (क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी।
- (ख) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के लिए अप्रैल माह में होगी।
- (ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text 'REGISTRAR OF SOCIETIES, GOVERNMENT OF INDIA' around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

10. सूचना का सूचना :-

- (क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना कम से कम 4 दिन पूर्व दी जायेगी।
- (ख) आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
- (ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 11 घंटे पूर्व दी जायेगी।

11. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य

अध्यक्ष :-

- (क) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।
- (ख) समान मत की स्थिति में अपने निर्णायक मत से किसी विषय पर निर्णय देना।
- (ग) आपातकालीन बैठक सात दिन के अन्दर बुला सकता है।

उपाध्यक्ष :-

- (क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों का सम्पादन करना।

सचिव :-

- (क) प्रत्येक बैठक को आयोजित करना।
- (ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर करवाकर अपना पत्राचार करना।
- (ग) संस्था की ओर से पत्राचार करना।
- (घ) प्रत्येक कार्यवाही का निरीक्षण करना और किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी होना।
- (ङ) महत्वपूर्ण विषयों पर समिति की राय लेकर तथा सामान्य विषयों पर स्वयं ही अपने विवेकानुसार पत्राचार करना।

उप-सचिव :-

- (क) सचिव की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा सम्पादित किये जाने वाले सभी कार्यों का संचालन करना।

6

*[Handwritten Signature]*

कोषाध्यक्ष :-

- (क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आय-व्यय का हिसाब बैठक में प्रस्तुत करना।
- (ख) सदस्य शुल्क एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त करना, रशीद देना एवं सभी खाता में दाखिल करना।
- (ग) आकस्मिक खर्च के लिए अपने पास 1000/- रु. तक रखना तथा विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास करा कर सम्पादित करना।

12. आय के स्रोत :-

- (क) सदस्या शुल्क एवं प्रवेश शुल्क।
- (ख) चन्दा, दान एवं अनुदान।
- ✓ (ग) ऋण द्वारा आय।
- (घ) सरकारी/गैरसरकारी/अर्द्धसरकारी या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से आय।
- (ङ) नामांकन शुल्क एवं विकास शुल्क।

13. नियमावली में संशोधन :-


नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा पारित होने पर ही किया जाएगा।

14. पंजी का निरीक्षण :-

संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में रहेगी, जिसका कोई सदस्य सचिव या अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

15. निधि का अंकेक्षण :-

(क) संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा नियमित रूप से संस्था के निबंधित कार्यालय में रहेगी, जिसका अंकेक्षण आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष कराया जाएगा।

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains text in Hindi, including 'संस्था' (Institution) and 'अध्यक्ष' (President). The signature is written in a cursive style.

(ख) निबंधन महानिरीक्षक जब भी चाहे विवके से संस्था के आय-व्यय का अंकक्षण करा सकते हैं जिसका अंकक्षण शुल्क संस्था वहन करेगी।

16. कानूनी कार्रवाई :-

संस्था पर या संस्था के द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई सचिव, अध्यक्ष के पदनाम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी समिति की सहमति से अधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है।

17. कोष का संचालन :-

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक घर में संस्था के नाम से जमा रहेगी, जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त किया जाएगा जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

18. संस्था एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

(क) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 की धारा - 13 के आलोक में सरकार के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

(ख) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जाएगा।

(ग) विघटन के उपरान्त जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जाएगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

Chander Shashi Deyeb  
अध्यक्ष

Atul Kaur

Atul Kaur

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।  
कोषाध्यक्ष

सचिव

निबंधन महानिरीक्षक, इलाहाबाद